निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0–47/अपील/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21/07/2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि भूमि खसरा क्र0–10/2 रकवा 5.00 ए0 स्थित मौजा रौड़, पटवारी हल्का–10, रा0नि0मं0 सिंहपुर, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0) की आराजी निगरानीकर्ता के पिता स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्वत्व, आधिपत्य की है जो वह अपने जीवनकाल में दिनांक 17/04/2007 को निगरानीकर्ता के पारिवारिक व्यवस्था के तहत दिया गया था, जिसका नामांतरण जरिये नामांतरण पंजी क्र0–12 के माध्यम से दिनांक 04/07/2007 को न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख सतना द्वारा नामांतरण प्रमाणित किया गया था जिसमें निगरानीकर्ता के पिता महेन्द्र कुमार पाण्डेय अपने जीवनकाल में हस्ताक्षर किया गया था जिसकी जानकारी सभी निगरानीकर्तागण को थी तथा वह बालिक तथा पढ़े लिखे व राजनैतिक व्यक्ति है । निगरानीकर्ता के पिता महेन्द्र कुमार पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 05/09/15 को हो चुकी है । प्रत्यर्थीगण, निगरानीकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से बनावटी आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष 09 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र विधिं व प्रकिया के विपरीत होने के वावजूद स्वीकार कर लिया गया जिससे दुखित होकर श्रीमान् के समक्ष निम्न आधारों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5378–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक द्वारा ग्राह्यत के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 47/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। विचाराधीन आदेश की अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने अंतरिम आदेश दिनांक 21–7–2016 को अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है तथा प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है। चूंकि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को समय–सीमा में मान्य किया है। अभी दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्राप्त है जिसके पश्चात प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन प्रतीत होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(7)

Rs-30/-

R 5378 II/16

श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी कमलेश तिवारी पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम बकिया तिवरियान, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0), हाल निवास भरहुत नगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)

——————निगरानीकर्ता

बनाम

1– श्रीमती गुलाबरानी पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

2– अशोक कुमार पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

3– अवधबिहारी तनय स्व0 स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 49 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

4– राकेश कुमार तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

5– व्यासमुनि पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

6– राजमणि पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 33 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

7– अखिलेश कुमार पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

8– श्रीमती मीना पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय पत्नी राजकुमार, आयु 45 वर्ष, निवासी डालीबाबा सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)

———————प्रत्यर्थीगण